



BINOD BIHARI MAHTO KOYALANCHAL UNIVERSITY
DHANBAD, JHARKHAND

Email : registrarbmk@gmail.com

Ref. No. BBMKG/R/...../2020

Date: 01/07/2020

सेवा में,

सचिव / प्राचार्य,
राजीव गांधी ममोरियल टीसर्च ट्रेनिंग कॉलेज,
धनबाद ।

विषय:- राजीव गांधी ममोरियल टीसर्च ट्रेनिंग कॉलेज, धनबाद को सत्र 2019-2021 में एम0एड0 पाठयक्रम के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग: पत्रांक-05/स0-27/2019, 664 झारखण्ड सरकार, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग राँची, दिनांक 26.06.2020 ।

महाशय,

निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पत्रांक-05/स0-27/2019, 664 झारखण्ड सरकार, राँची, दिनांक 24.06.2020 के आलोक में राजीव गांधी ममोरियल टीसर्च ट्रेनिंग कॉलेज, धनबाद को सत्र 2019-2021 में एम0एड0 पाठयक्रम के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय अधिनियम 2000, की धारा 04(19) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखित विवरणी के अनुसार कंडिका-2 में अंकित शर्तों के अधीन अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क0सं0	विषय	पाठयक्रम	सत्र/सीट	NCTE Recognition पत्रांक / दिनांक
1	राजीव गांधी ममोरियल टीसर्च ट्रेनिंग कॉलेज, धनबाद	सत्र 2019-21 के लिए संबंधन दीर्घीकरण	2019-2021 50 सीट	पत्रांक-55371 दिनांक-14.12.2017

2. शर्त:-

- I. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गए सुझाव एवं शर्तों का अनुपालन समय सीमा के अंदर किया जाएगा।
- II. महाविद्यालय पूर्व क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भुवनेश्वर द्वारा लगाए गए शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- III. महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिनियम में वर्णित प्रावधान का अक्षरक्षः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- IV. संबंधन संबंधी परिनियम की कंडिका 6(1) के अनुपालन में AISHE Portal पर निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
- V. संबंधन संबंधी परिनियम की कंडिका 6 के अनुपालन में नवसंबंधन के समय दिये गए निदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

कर्मल (डॉ0) मिथिलेश कुमार सिंह (से0नि0)
कुलसचिव

01/07/2020